



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272661  
CG-DL-E-18052026-272661

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2450]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948

No. 2450]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

**का.आ. 2542(अ).**— जबकि मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एंजी, यूनिट नं. 3, 4 और 5, छठी मंजिल, फाउंटेनहेड टॉवर – 2, विमान नगर, पुणे – 411014 महाराष्ट्र, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/79/2025-PG दिनांकित 20.08.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर (हिंदी) दिनांक 31.08.2025, युगपक्ष दैनिक (हिंदी) दिनांक 01.09.2025, हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) दिनांक 31.08.2025, इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 31.08.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 27.09.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन

मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 19.03.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर एक(1) टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसका उचित उत्तर दिया जा चुका है।

मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 11.02.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान एवं गुजरात के संशोधित ग्रेट इंडियन वस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरक्षण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

• लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जनरेशन पूलिंग स्टेशन (भानीपुरा गांव, जिला बीकानेर, राजस्थान में)–रिन्यू दिनकर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड सोलर प्लांट (पीएसएस कावनी गांव, जिला बीकानेर, राजस्थान), जिसमें डीसी टावरों पर 220 केवी एस/सी लाइन लगी है (लाइन की कुल लंबाई लगभग 19 किमी है)।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र. सं.	गाँव का नाम	तहसील	ज़िला
1	भानीपुरा, बान्दरेवाला	पूगल	बीकानेर
2	कावनी, जयमलसर	कोलायत	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vi) मेसर्स लिट्सोलेयर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फ़ा. सं. 25-16/39/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

## MINISTRY OF POWER

### ORDER

New Delhi, the 15th May, 2026

**S.O. 2542(E).**— Whereas M/s Litsolaire Energy Private Limited the applicant with its registered Office at ENGIE, Unit No. 3, 4 & 5, Sixth Floor, Fountainhead Tower – 2, Viman Nagar, Pune – 411014, Maharashtra, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Litsolaire Energy Private Limited for its proposed 100 MW solar power project in Bikaner, Rajasthan”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/79/2025-PG dated 20.08.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Litsolaire Energy Private Limited for its proposed 100 MW solar power project in Bikaner, Rajasthan”.

M/s Litsolaire Energy Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dainik Bhaskar (Hindi) dated 31.08.2025 Yugpksh Dainik (Hindi) dated 01.09.2025 Hindustan Times (English) dated 31.08.2025, Indian Express (English) dated 31.08.2025, and in Weekly Gazette of India dated 27.09.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently M/s Litsolaire Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 19.03.2026 declaring that One (1) observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication of public notice and observation received was suitably replied.

M/s Litsolaire Energy Private Limited has submitted an Undertaking dated 11.02.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Litsolaire Energy Private Limited for its proposed 100 MW solar power project in Bikaner, Rajasthan”. The following overhead line is covered under this scheme:

- Litsolaire Energy Pvt. Ltd. generation pooling station (in village Bhanipura, District Bikaner, Rajasthan) – ReNew Dinkar Urja Pvt. Ltd. Solar Plant (PSS Located in village Kawani, District Bikaner, Rajasthan) 220 kV S/c line on D/c towers (total line length is about 19 km).

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan

Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	District
1	Bhanipura, Bandarewala	Poogal	Bikaner
2	Kawani, Jaimalsar	Kolayat	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Litsolaire Energy Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Litsolaire Energy Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/39/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)